बिहार सरकार
उद्योग विभाग
राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् सचिवालय
द्वितीय तल, विकास भवन, बेली रोड, पटना

सं0 सं0–एस0आई0पी0बी0201700221................ दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
बिहार, पटना।

विषय– मेसर्स नालंदा इन्फ्रा, नालंदा द्वारा जुनैदी, सिलाव, नालंदा में 08 मीटर का 18000 एवं 09 मीटर का 14440 पी0एस0सी0 पोल प्रतिवर्ष क्षमता का निर्माण ईकाई की स्थापना हेतु टर्म लोन पर ब्याज अनुदान के रूप में कुल रू0 3,60,610/– (मात्र तीन लाख साठ हजार छः सौ दस रूपए) के अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मेसर्स नालंदा इन्फ्रा, नालंदा द्वारा जुनैदी, सिलाव, नालंदा में 08 मीटर का 18000 एवं 09 मीटर का 14440 पी0एस0सी0 पोल प्रतिवर्ष क्षमता का निर्माण ईकाई की स्थापना संबंधी प्रस्ताव में राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् की बैठक दिनांक 08.03.2017 को स्टेज–1 तथा दिनांक 21.06.2018 की बैठक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेन्स प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली–2016 के नियम– 7 (2) (i) में निहित प्रावधान के आलोक में प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन भी प्राप्त है। यह ईकाई सामान्य प्रक्षेत्र के अंतर्गत गैर–प्राथमिकता सूची में है।

2. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत ईकाई के उत्पादन में आने के बाद ही अनुदान देय है, अतएव राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् सचिवालय के कार्यालय आदेश ज्ञापांक SIPB201700221/1245, दिनांक 03.10.2018 के द्वारा श्री सुरेश कुमार, उप उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना एवं महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नालंदा से उक्त ईकाई का स्थल निरीक्षण कराया गया। उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में ईकाई को दिनांक 25.02.2018 से कार्यरत बताया गया है। ईकाई बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र है।

3. ईकाई को पूर्व में 31 दिसम्बर, 2018 तक ब्याज अनुदान के रूप में कुल रू0 12,21,837/– (मात्र बारह लाख इक्कीस हजार आठ सौ सैंतीस रूपए) दिया जा चुका है।

4. ईकाई को तृतीय किस्त के रूप में 01 जनवरी, 2019 से 31 मार्च, 2019 तक ब्याज अनुदान के रूप में कुल रू0 3,60,610/– (मात्र तीन लाख साठ हजार छः सौ दस रूपए) के अनुदान की स्वीकृति निम्न शर्त्तों के साथ प्रदान की जाती है:–

(i) ईकाई न्यूनतम 5 वर्षों तक कार्यरत रहेगी। यदि 5 वर्षों के अंदर ईकाई बिना किसी औचित्य और सक्षम कारण के बंद होती है तो भुगतान की गई अनुदान की राशि 18% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।

(ii) ईकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति के पश्चात् 5 वर्षों तक स्थापित मशीन–उपकरण, आधारभूत संरचना, भूमि की बिक्री/ लीज/ हस्तांतरण किसी अन्य को नहीं किया जाएगा।

(iii) अनुदान की गणना में त्रुटि पाए जाने पर अनुदान की राशि वसूल कर ली जायेगी।

(iv) ईकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु झूठी उद्घोषणा किए जाने, उपलब्ध कराए गए कागजात के भविष्य में गलत पाए जाने पर भुगतान की गई अनुदान की राशि भुगतान की तिथि से 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।

(v) यदि ईकाई के द्वारा निर्धारित समय पर राशि वापस नहीं लौटाई जाती है तो राज्य सरकार द्वारा Public Demand Recovery Act के अंतर्गत ब्याज सहित उक्त राशि की वसूली भू–राजस्व के बकाये के रूप की जाएगी।

5. उक्त स्वीकृत राशि का व्यय विभागीय राज्यादेश सं0–3020, दिनांक–01.08.19 के आलोक में मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 80–सामान्य, लघु शीर्ष 102–औद्योगिक उत्पादकता, माँग संख्या 23, उप शीर्ष 0160–प्री प्रोडक्सन एवं पोस्ट प्रोडक्सन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड 23–2852801020160, विषय शीर्ष 0160.33. 01 सब्सिडी मद में चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 के बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

क्रमशः पृष्ठ–2

6. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।

7. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।

8. इस राशि की निकासी पूर्व प्राप्ति रसीद पर बी0 टी0 सी0 फार्म–25 पर की जाएगी।

9. इस राशि का भुगतान मेसर्स नालंदा इन्फ्रा को उनके बैंक ऑफ इंडिया में खाता संख्या–441030110000050, IFS Code-BKID0004410 में CFMS के माध्यम से की जाएगी।

10. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(पंकज कुमार सिंह)
उद्योग निदेशक
–सह–
सदस्य सचिव, एस0आई0पी0बी0,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–एस0आई0पी0बी0201700221.................... दिनांक–

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
उद्योग निदेशक
–सह–
सदस्य सचिव, एस0आई0पी0बी0,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–एस0आई0पी0बी0201700221.................... दिनांक–

प्रतिलिपिः वित्त विभाग,बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
उद्योग निदेशक
–सह–
सदस्य सचिव, एस0आई0पी0बी0,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–एस0आई0पी0बी0201700221.......3167 दिनांक– 19.8.19

प्रतिलिपिः– महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नालंदा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में / आई0 टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ मेसर्स नालंदा इन्फ्रा, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/8

उद्योग निदेशक
–सह–
सदस्य सचिव, एस0आई0पी0बी0,
बिहार, पटना।